न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 263/2013

नवान :

1. रीडमल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।(मृतक)

1/1 महावीर
1/2 सुभाष
1/3 जलेसिंह
1/4 साधुराम
} पुत्रान रीडमल जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

1/5 रज्जो
1/6 विद्या
1/7 विमला
1/8 गुड्डी
1/9 सुरती
1/10 कृष्णा
1/11 पार्वती
} पुत्रीया रीडमल जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

1/12 तुलछी पत्नी रीडमल जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. थानाराम पुत्र बीरूराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. इन्द्राज पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भादरा जरिये शाखा प्रंबन्धक।
5. धर्मसिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक बाबत।

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री प्रभूराम गोदारा : **प्रतिवादी-1**

वकील श्री सरजीत बिजारणियां- 2व 5।

निर्णय **दिनांक :** 22.06.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खसरा सं0 459 की 71 किला 12 बिस्वा बारानी भूमि बस्तीराम की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमें से बस्तीराम पुत्र दूदाराम ने जो कि प्रतिवादी सं0 1 का दादा था। उसने अपनी खसरा सं0 459 की 47 किला 1 बिस्वा भूमि में से 14 किला भूमि दिनांक 06.05.1974 को प्रतिवादी

Scanned with CamScanner

धर्मसिंह को विक्रय कर दी प्रतिवादी धर्मसिंह ने अपनी खरीदशुदा उक्त 14 किला भूमि बिना नामान्तकरण दर्ज करवाये ही दिनांक 30.10.1981 को वादी रीडमल को विक्रय कर दी एवं कब्जा सोप दिया। वादी को राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही होने के चलते उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम नही हो सका एवं उक्त भूमि प्रतिवादी थानाराम के नाम दर्ज हो गई। इसलिये रोही रासलाना के खसरा सं0 459 की 14 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण हाजिर अदालत आये व जबावदावा पेश किया दावा खण्डन किया। दोराने विचारण दावा वादी रीडमल का देहान्त हो गया। जिस पर उसके विधिक वारीसान को दावे में पक्षकारान वादीगण बनाया। वादी की तरफ से साक्ष्य करवाई गयी । साक्ष्यवादी में रीडमल के बयान करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में वाद भूमि की वर्तमान व पूर्व की जमाबन्दी व बैयनामे प्रदर्शित करवाये व वादीगण एवं प्रतिवादी गण ने अपना राजीनामा पेश किया व 14 बीघा भूमि वादी रीडमल की खरीदशुदा थी। उसे रीडमल के वारीसान के नाम दर्ज करवाने की सहमती व्यक्त की। वादी सं0 1/5 ता 1/12 ने उक्त 14 बीघा भूमि में अपना हक हिस्सा वादी सं0 1/1 ता 1/4 तक के पक्ष में तर्क अपना हक हिस्सा शुन्य करने व उक्त 14 बीघा भूमि वादी सं0 1/1 ता 1/4 के नाम बहिस्सा दर्ज करवाने की सहमति दी ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि उनके पिता की खरीदशुदा भूमि है। इसलिये उक्त 14 बीघा भूमि का वादी सं0 1/1 ता 1/4 को बहिस्सा बराबर घोषित किया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रासलाना के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी प्रदर्श 1 ता 3 व प्रमाणित प्रति बैयनामा बहक धर्मसिंह प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रति बैयनामा बहक रीडमल प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें। वाद भूमि रोही रासलाना के खसरा सं0 306 की 6.209है0, खसरा सं0 459 की 11.900है0 कुल 18.109है0 में वादी सं0 1/1 ता 1/4 को 3.542है0 भूमि के बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व उक्त 3.542है0 भूमि थानाराम के हिस्से में कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व बैयनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खसरा सं0 306 की 6.209है0, खसरा सं0 459 की 11.900है0 कुल 18.109है0 में वादी सं0 1/1 महावीर, 1/2 सुभाष, 1/3 जलेसिंह, 1/4 साधुराम को 3.542है0 भूमि के बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व उक्त 3.542है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के हिस्से में कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner